

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक कोर्ट/डीसी/  
2023/373 दिनांक 24.08.2023 के क्रम में उक्त अपील  
पत्रावली का सुनवाई क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को कर दिये  
जाने से अपील पत्रावली न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर  
से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है। अतः दर्ज रजिस्टर की  
जावें। पक्षकारान के अधिवक्ता आयन्दा सुनवाई हेतु दिनांक  
15/12/23 को न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित रहे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,  
जोधपुर

15/12/23

वकिल फरीकन हाजिर । पूर्व आदेशानुसार नोटिस  
/रिकॉर्ड बाबत कार्यवाही की जाकर दि. 22/12/23  
को पेश हो ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
जोधपुर

22/12/23

वकिल फरीकन हाजिर । पूर्व आदेशानुसार नोटिस  
/रिकॉर्ड बाबत कार्यवाही की जाकर दि. 23/12/23  
को पेश हो ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
जोधपुर

31/12/24

पत्रावली पेश हुई रा. अधिवक्ता उपस्थित, अपीलांत एवं अधिवक्ता  
अपी. को उपस्थित होने लावात न्यायालय हाजा की ओर से तीन  
बार आवाजे लगवाई गई। परन्तु न तो अपीलांत स्वयं उपस्थित  
हुए और न ही अपीलांत के अधिवक्ता आज सुनवाई हेतु  
उपस्थित हुए ऐसे में अपील को अनिवार्य रूप से विचाशदीन रखा  
जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांत अधिवक्ता की  
अनुपस्थिति में अदम हाजरी में खारीज की जाती है पत्रावली  
वास्तु निर्णित होकर नम्बर से क्रम से  
पीसीए रिकॉर्ड लावाया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

राजीवपुरा के खसरा नम्बर 689/417 रकबा 15 बीगा  
किस्म बा.दो. भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त की है। इस